बिहार सरकार

दैनिक – 5/6/25 दैनिक जागरण

कृषि विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), किशनगंज

कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर लेखापाल एवं आशुलिपिक –सह– लिपिक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	पद का नाम	नियत मानदेय (रू0 में)	पदों की संख्या	उम्र	अनिवार्य योग्यता
01	लेखापाल (आत्मा योजना)	आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	वाणिज्य में स्नातक की डिग्री एवं लेखा कार्य में 03 वर्ष का अनुभव।
02	आशुलिपिक –सह– लिपिक (राज्य स्कीम)	राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप)	स्नातक की डिग्री एवं आशु टंकन कार्य में 03 वर्ष का अनुभव के साथ कम्प्यूटर में 06 माह का डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर कार्य में दक्ष।

नियोजन हेतु सामान्य सूचना –

- एकल पद होने के कारण सभी पद अनारक्षित है।
- चयन प्रक्रिया–आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता / दक्षता परीक्षा / कार्यानुभव / साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जायेगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
- उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकतम आयु के अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाणपत्रों / अंकपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- संविदा पर नियोजन– संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोशजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाऐंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी भी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों / विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप / विभागीय कार्रवाई / न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंधित शपथ–पत्र (पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय / नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।
- आवेदन पत्र, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 02 जून, 2025 से दिनांक 16 जून, 2025 को संध्या को संख्या 05 बजे तक परियोजना निदेशक, आत्मा के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा (जिसकी विवरणी निम्न है:– परियोजना निदेशक, आत्मा, संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, खगड़ा हवाई अड्डा रोड, किशनगंज– 855107) अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी https://Kishanganj.nic.in, www.bameti.org or https://state.bihar.gov.in/krishi/citizen.Home.html पर देखा जा सकता है।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा, किशनगंज

PR. No. 005163 (Agriculture) 2025-26

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

Scanned with OKEN Scanner